

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 वैशाख 1941 (श0) (सं0 पटना 599) पटना, बुधवार, 8 मई 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 8 मई 2019

एस० ओ० 213, दिनांक 8 मई 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, तारीख 21 जून, 2019 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिससे बिहार माल और सेवा कर (चौदहवां) संशोधन नियम, 2018 का नियम 12 [वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 07, दिनांक 3 जनवरी, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या—18, दिनांक 3 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था,] प्रवृत्त होगा ।

[(सं० बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017 (खंड—6) 1434)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव। 8 मई 2019

एस० ओ० २१३, दिनांक ८ मई २०१९ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

> [(सं० बिक्री—कर/जीएसटी/विविध—21/2017 (खंड—6) 1434)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ0 प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 8th May 2019

S.O. 213, Dated 8th May 2019— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar hereby appoints the 21st day of June, 2019, as the date from which the provisions of the Bihar Goods and Services Tax (Fourteenth) Amendment Rules, 2018 rule 12 of [Commercial Taxes Department notification No S.O. 07 dated the 3rd January, 2019 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 18, dated the 3rd January, 2019], shall come into force.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-6) 1434)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 599-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in